

फक्त/अति आवश्यक/आजही निर्गत

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

१-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-टीजी-परिपत्र-**33**/2016
सेवा में,

दिनांक: सख्तनक, **९** दिन २०१६

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृपया पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-५/१-५५१-०२ दिनांक १७-०७-१९९१ का सन्दर्भ अड्डे करें, जो लिखित सेवा ताम के लिए सन्तोषजनक सेवा निर्धारण के संबंध में निर्गत किया गया था।

उल्लेखनीय है कि उक्त परिपत्र निर्गत होने के पश्चात ३०५० शासन द्वारा शासनादेश संख्या-७६१/कार्यालय-१/१९९३ दिनांक ३०-०६-१९९३, शासनादेश संख्या-१३/२२/१९९३-का-१-१९९४ दिनांक २५-०३-१९९४ व शासनादेश संख्या-१३/२२/१९९३-का-१/२००४ दिनांक २७-१०-२००४ निर्गत करते हुए सेवा संचयनी मालालों में सरकारी सेवाओं की प्रत्येक सेवा निर्दिष्ट वे सदय में यारी दर्शन तिलकनाम निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश निर्गत होने के पश्चात पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक १७-०७-१९९१ तक ही निष्पात्यावी/समाप्त हो चुका है, जिसके बारे में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-१०४-८७०(वरिष्ठ-पदो)२०१५ दिनांक २३-०७-२०१५ द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। परन्तु किरण भी मेरे तरफ करियर इस प्रकार के दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं कि पुलिस विभाग के कार्यकारी द्वारा अभी भी पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक १७-०७-१९९१ की सन्तोषजनक सेवा निर्धारण का आधार बनाकर साप्र प्राप्त करने हेतु म० न्यायालयों में निर्देश याचिकाएं दर्ज की जाती हैं, जिससे अब की स्थिति उदर्जन होती है।

इसी दृष्टिकोण से कि ३०५० शासन द्वारा कार्यकारी हो सन्तोषजनक सेवा निर्धारण हेतु लिखित शासनादेशों के माध्यम से जो बारंटरक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, उन्हीं का अनुपालन पुलिस विभाग में किया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त विभिन्न दृष्टिकोण के दृष्टिकोण सन्तोषजनक सेवा निर्धारण के संबंध में पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-५/१-५५१-०२ दिनांक ११-०७-१९९१ जो कर्तमान परियोग में निष्पात्यावी हो चुका है, को समाप्त करते हुये आप सभी की निर्देशित किया जाता है कि कार्यकारी के सन्तोषजनक सेवा निर्धारण हेतु ३०५० शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेशों के अनुसार ही कार्यवाही करें तथा दिनांक एवं ३०५०शासन का एक प्रभावी दृष्टि से म० न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत कराएं।

१०-६
(वाकीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १-समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, ३०५०।
- २-समस्त जोनल पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- ३-समस्त परिषेकीय पुलिस उपमहानिदेशक उत्तर प्रदेश।

०५१५.३५८८०८५०/१६२१०८/१६

कार्यालय: पुलिस प्रांत-एसटी-एसपी-के-२/१६

अधीक्षक,

अति महत्वपूर्ण/अति आवश्यक
जनपद कासगंज।

दिनांक: १८.६.२०१६

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित निर्गत निर्देशों का अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित करने व कराने हेतु :-

१. अपर पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
२. क्षेत्राधिकारी कार्यालय, जनपद कासगंज।
३. प्रधानलिपिक/ऑफिस, जनपद कासगंज।
४. प्रभारी निरीक्षक विधि प्रकोष्ठ, कासगंज।

१०-६
पुलिस अधीक्षक,
कासगंज।